प्रेस विज्ञप्ति

27.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अगरतला उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 26.08.2025 को त्रिपुरा के उत्पल कुमार चौधरी के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में त्रिपुरा, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उत्पल कुमार चौधरी के खिलाफ दर्ज की गई कई प्राथमीकियों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि उसने प्रतिष्ठानों/संस्थाओं का एक जाल स्थापित किया था, जिनके नाम सरकारी या पीएसयू संस्थाओं जैसे कि उच्च शिक्षा निदेशालय त्रिपुरा, ब्रिज एंड रूफ कंपनी और परिधान निदेशालय, भारतीय परिषद से मिलते-जुलते हैं। प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं और पीएसयू के समान या मिलते-जुलते संस्थानों या कंपनी के नामों को शामिल करके, उसने जनता को ऐसी डुप्लिकेट संस्थाओं में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। त्रिपुरा के उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रमुख के रूप में खुद को पेश करते हुए, उन्होंने त्रिपुरा से छात्रों को उनके संस्थानों में भेजने के वादे पर कई शिक्षण संस्थानों को धोखा दिया और त्रिपुरा के उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत विभिन्न संस्थानों में मध्याह्न भोजन का टेंडर देने के झूठे वादे पर कई व्यक्तियों को धोखा भी दिया।

उन्होंने विदेश अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत **मेसर्स चलताखाली स्वामीजी सेवा संघ नामक एक एनजीओ का नियंत्रण भी धोखाधड़ी से ले लिया** और विभिन्न व्यक्तियों के धन को वैध बनाने के लिए उसका बैंक खाता खोल दिया। यह पाया गया कि ऐसे बैंक खातों में झूठी प्रविष्टियों के माध्यम से सर्किटनुमा जाल जैसा लेनदेन दिखाकर धन का शोधन किया गया था। प्राथमिक जांच से पता चलता है कि किराए के बैंक खातों के साथ रबर के फर्जी व्यवसाय के बहाने चलताखाली स्वामीजी सेवा संघ के माध्यम से हरियाणा, कोलकाता और दिल्ली में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों/संस्थाओं के 200 करोड़ रुपये से अधिक का शोधन किया गया है। उत्पल कुमार चौधरी और उनके साथियों द्वारा त्रिपुरा में विभिन्न राज्यों में दिखाया गया रबर का कारोबार फर्जी पाया गया क्योंकि रबर की वास्तविक बिक्री/खरीद नहीं हुई थी और केवल कागज़ों पर ही बिक्री/खरीद दिखाई गई थी। साथ ही रबर के सामानों के परिवहन का कोई विवरण भी नहीं मिला। उपरोक्त ट्रस्ट का उपयोग उपरोक्त संस्थाओं को प्रविष्टियाँ उपलब्ध करवाने के लिए किया गया था और कई मामलों में कमाई को वैध बनाने के बाद भारी मात्रा में नकद राशि निकाली गई।

उत्पल कुमार चौधरी की त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घनिष्ठता थी, जो विभिन्न व्यापारियों को उसे उच्च पद के अधिकारी के रूप में पेश करते थे। व्यापारियों के साथ इस तरह की जान-पहचान के माध्यम से, उसने उन्हें विभिन्न सरकारी ठेके दिलाने के झूठे वादे करके धोखा दिया था। जाँच में पता चला कि त्रिपुरा सरकार के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी रकम का भुगतान किया गया था।

तलाशी के दौरान, त्रिपुरा सरकार के विभिन्न विभागों जैसे खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा प्रारंभिक विद्यालय निदेशालय, अन्य पीएसयू और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के जाली आईडी के साथ विभिन्न अपराध-संकेती डिजिटल और भौतिक साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, 7 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई और लगभग 60 लाख रुपये की कुल राशि वाले बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। त्रिपुरा के विभिन्न स्थानों में रियल एस्टेट और भूमि में निवेश के संबंध में अपराध-संकेती साक्ष्य मिले हैं। उत्पल कुमार चौधरी वर्तमान में हरियाणा जेल में हैं।

आगे की जांच जारी है।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
वैध तिथि
VALID UPTO
DEC I 2024
नाम
Name
उत्पल कुमार चौधरी
Utpal Kumar Chowdhury
पद
Designation
कार्यक्रम प्रशासक
Programe Administrator
मत्रालय कार्यालय
Ministry office
NDCC-II, Building Jai Singh Morg
Hanuman Road Area, New Delhi - 110001
Blood Group : B+
No. TE. MHA / 32279
निर्गमन प्राधिकारी
Issuing Authority

PRIME